URGENT

No.EDN-H (EE)(4)4- 24/2015-16 Demands of MDM worker
Directorate of Elementary Education
Himachal Pradesh
Dated Shimla-171001 the Dec, 2016

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि-1) 31 DEC 2016 शिमला - 1

To

1. All the Deputy Directors Elementary /Higher Education (Una)
Himachal Pradesh
2. All the Block Elementary Education Officers
Himachal Pradesh.

Sub:- Coverage of Mid Day Meal workers under Social Security Schemes viz "Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna" (PMSBY), "Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna" (PMJJBY) and "Atal Pension Yojna" (APY) engaged under Mid Day Meal Scheme.

Sir/Madam

In continuation to this office letter of even No. dated 20th May, 2016 and subsequent reminder dated 13-07-2016, it is once again reiterated that the Finance Department vide its letter No.Fin (Pen) A(3) -5/2006-Vol-IV dated 12-08-2015 has issued detailed instructions regarding adoption / Co- contribution under "Atal Pension Yojna". As per Para-2(d) of the aforesaid letter, the payment of Co- contributor by State Government to the account of subscriber under "Atal Penson Yojna" will be made by the Direcor, Treasuries ,Accounts & Lotteries annually. So far as other two schemes namely "Pradhan Mantri Surkaksha Bima Yojna" (PMSBY) and "Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna" (PMJBY) are concerned, these are required to be operated through nationalized/ scheduled banks under which premium is auto debited by the bank from the account of succeeding year. These are voluntary schemes. The State Government will bear the Co- contribution under "Atal Pension Yojna "only, provided individual subscribers give their own contribution, in terms of the State Government letter dated 12-08-2015. The respective workers may be encouraged to subscribe to the insurance Schemes and the "Atal Pension Yojna", in view of the low costs outgo to the subscribers. There is to be no State Government contribution, however, except co contribution of up to Rs. 1000/- per annum under "Atal Pension Yojna". You are therefore requested to extensively publicize these schemes amongst the Mid- Day Meal workers under Mid Day Meal Scheme that in case they open Accounts under "Atal Pension Yojna", and contribute regularly to the same, the State Government will give its own contribution as an incentive.

In view of the above, you are directed to take immediate further necessary action in the matter accordingly under intimation to this office and also ensure the submission of action taken reports (ATRs) to this Directorate from time to time.

This may be treated as Most Urgent and Personal Attention be given, please

Joint Director (A)

Endst .No. even dated Shimla-171001 Dec,2016

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि-1) 31 DEC 2016 शिमला - 1

Copy to:-

1- The Principal Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh Shimla-171002 for his kind information in the matter please.
2- All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh for information and similar necessary action in the matter please.
3- Guard file.

Joint Director (A)

G-II
73 13/1/17
12/1/17
00 E6
12/1/17

URGENT

Endst.No.EDN-U(G-II)Elem/MDM/- 1405 - 1675
Office of the
Dy.Director Elementary Education
Una,Distt.Una(HP)
E-mail ID------- ddee-una.hp@nic.in

Dated:- 21/1/17

Copy is forwarded to:-

(1)All the Pr/HM/Incharges of GSSS/GHS/GMS in Distt.Una with the directions to make wide publicity of Social Security Schemes as mentioned in the above letter of DEEHP shimla among all the cook-cum-helpers working under MDMS in your school as well as in your complex schools.ATR in this regard be submitted to your concerned BEEO as well as to this office time to time.**Further the name of MDM workers who subscribed under "Atal Pension Yojna" be submitted to BEEO Office immediately,as the same is to be submitted to the Directorate.**

(2)All the BEEO's in Distt.Una(HP) in continuation to this office Endst.No.EDN-U(G-II)Ele/MDM/-10904-909 dated 10/06/2016 vide which your were directed to make wide publicity of Social Security Schemes as mentioned in the above letter of DEEHP shimla among all cook-cum-helpers working under MDMS in the all GPS under your control , hence in this context you are directed to **submit the consolidated report of all cook-cum-helpers working under MDMS under your block(of all GSSS/GHS/GMS/GPS) to this office immediately who subscribed under "Atal Pension Yojna", so that same could be submitted to the Directorate timely.**

Dy. Director Elementary Education
Una, District Una(HP)

महत्वपूर्ण

संख्याःशिक्षा–एच0;ई0ई0 (4) 4–24/2015.16**Demands of MDM worker.**
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल –प्रदेश
दिनांक शिमला–171001 दिसम्बर, 2016

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि–1)
31 DEC 2016
शिमला - 1

सेवा में

1. समस्त उपनिदेशक (प्रारम्भिक/उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

विषय: मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत पाठशालाओं में कार्यरत मिड–डे–मील वर्करज़ कुक कम हैल्पर्ज़ को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे "प्रधांन मन्त्री सुरक्षा बीमा योजना", "प्रधान मंन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना" तथा "अटल पैंशन योजना" के तहत शामिल करने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 20.05.2016 के सन्दर्भ में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा पत्र संख्याः शिक्षा सी – एफ (10) 11/2010 – भाग–**II** दिनांक 31.03.2016 के अन्तर्गत मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न पाठशालाओं में कार्यरत मिड डे मील वर्करज़ को भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे "प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा येाजना", "प्रधान मंन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना" तथा "अटल पैंशन योजना" के तहत लाने हेतु निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में कार्यरत, विभिन्न कर्मचारियों को "अटल पैंशन योजना" को अपनाने एंवम उसमें अंशदान करने हेतू भी वित विभाग द्वारा पत्र संख्यां फिन (पेन) ए (3):5/2006 – खण्ड –**IV** दिनांक 12.08.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है। उक्त पत्र के पैरा –2 (डी) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अंशदाता के खाते में दिये जाने वाले वार्षिक अंशदान का भुगतान निदेशक, कोष – लेखा एंव लाटरिज़ विभाग द्वारा किया जाएगा। जहां तक अन्य दो योजनाओं जैसे "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" **(PMSBY)** तथा "प्रधान मंन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना" **(PMJJBY)** का सम्बन्धं है, इन्हें राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है, जिसके अन्तर्गत बैंक द्वारा स्वतः ही अंशदाता के खाते से प्रत्येक वर्ष मई माह में **Debit** किया जाएगा तथा पहली जून से अगले वर्ष की 31 मई तक का जोखिम **(risk cover)** अंशदान शामिल होगा तथा यह दोनों योजनाऐं स्वैच्छिक योजनाऐं है। इसके अतिरिक्त यहां पर यह स्पष्ट करना उचित है, कि यदि "अटल पैंशन योजना" के अन्तर्गत वित विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.08.2015 के पैरा –2 (डी) के अनुसार यदि अंशदाता अपना अंशदान देता है, तभी राज्य सरकार भी अपना अंशदान अंशदाता के खाते में डालेगी। अतः आपसे अनुरोध है, कि उक्त वर्णित तीनों योजनाओं के अन्तर्गत अंशदाताओं के लिए निर्धारित न्यूनतम अंशदान के दृष्टिगत शिक्षा विभाग में मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत सभी मिड डे मील वर्करज़ को "अटल पैंशन योजना", "प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना" एंव "प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित एंव प्रोत्साहित किया जाए। उक्त सभी वर्कज़ को यह भी अवगत करवाया जाए कि राज्य सरकार द्वारा केवल "अटल पैंशन योजना" के अन्तर्गत ही वार्षिक रूप में मु0 1000/– रूपये अंशदान डाला जाएगा यदि मिड डे मील वर्कज इस योजना के तहत बैंक में अपना खाता खुलवाते है तथा नियमित रूप से इस खाते में अपना अंशदान जमा करवाते हो। परन्तु अन्य दो बीमा योजनाओं के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी मिड डे मील वर्कज़ तथा अंशकालीन जलवाहकों के लिए उक्त तीनों योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु इन सभी योजनाओं का उक्त कर्मचारियों के बीच विस्तृत प्रचार एंव प्रसार करें तथा कृत कार्यवाही से समय समय पर इस निदेशालय को अवगत करवाने की कृपा करें।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
31 DEC 2016
शिमला - 1

संयुक्त निदेशक (प्र0)

पृष्ठाकंन संख्यां : सम दिनांक शिमला – 171001 दिसम्बर, 2016
प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव शिक्षा हि0प्र0 सरकार शिमला –2 को उनके उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान हि0प्र0 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. रक्षक नास्ति।

संयुक्त निदेशक (प्र0)